सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वादपत्र स0 1825/2017

1. रामसिंह पुत्र कजोड सिंह बालिग
2. भंवरसिंह पुत्र कजोड सिंह बालिग
3. पुष्पकंवर बैवा कजोड सिंह बालिग

समस्त जाति राजपूत निवासी तितरिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान

———वादीगण

बनाम

1. कौशल्या बेवा जगदीश जाति जाट
2. राधादेवी बेवा मांगीलाल बालिग
3. बद्रीलाल पुत्र मांगीलाल बालिग
4. प्रहलाद पुत्र मांगीलाल बालिग
5. रामेश्वर पुत्र मांगीलाल बालिग
6. रामलाल पुत्र मांगीलाल बालिग
7. काशीराम पुत्र जगदीश नाबालिग जरिये माता कौशल्या
8. गुलाब पुत्री जगदीश बालिग
9. लाली पुत्री जगदीश बालिग
10. रसाल पुत्री जगदीश बालिग
11. रतनी पुत्री जगदीश बालिग
12. मनभर पुत्री जगदीश बालिग
13. रामघणी पुत्री जगदीश बालिग
14. होपूक्या पुत्री जगदीश बालिग

    समस्त जाति जाट निवासी तितरिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी

————प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 136,132 भू.राजस्व.अधि. सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

पीठासीन अधिकारी : श्री नीरज कुमार मीना (आरएएस)

निर्णय

दिनांक 25.5.18

पत्रावली आज लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 केम्प मोलकिया में पेश हुई। वादी/प्रतिवादी उपस्थित । उभयपक्षों को सुना गया, संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

वादी ने एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 136,132 भू.राज.अधि. सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम तितरिया तहसील केकड़ी के साबिक खसरा नम्बर 536 रकबा 10 बीघा, जिसके हाल खसरा नम्बर 559 रकबा 1.62 हैक्ट. एवं साबिक खसरा नम्बर 537 रकबा 5 बीघा जिसके हाल खसरा नम्बर 557 रकबा 0.38 हैक्ट. एवं खसरा नम्बर 558 रकबा 0.43 हैक्ट किये गये है। वादवर्णित आराजी का मूल खातेदार वादीगण के पिता/पति श्री कजोड सिंह पुत्र छीत्तर सिंह थे जिन्होने अपने जीवनकाल में उक्त वादग्रस्त आराजी पर काबिज होकर काश्त किया तथा उनकी मृत्यु पश्चात वादीगण उक्त आराजी पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा वक्त सेटलमेंट वर्किंग जमाबन्दी में त्रुटि पूर्वक वादीगण के पिता/पति की जगह प्रतिवादीगण के पिता मांगीलाल व जगदीश पुत्र मुकना जाति जाट का अंकन जमाबन्दी में कर दिया जिससे उन्हे किसी भी प्रकार के हक व अधिकार प्राप्त नही हुए है एवं प्रतिवादीगण के पिता के देहान्त के पश्चात प्रतिवादीगण के नाम बतौर खातेदार दर्ज हो गया। उक्त त्रुटि को संशोधित कराने के लिए यह वाद पेश किया गया है जिसे स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण की खातेदारी काश्तकारी आराजीयात के वर्किंग जमाबन्दी एवं आधार जमाबन्दी में वादीगण का नाम बतौर खातेदार काश्तकार दुरूस्त किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

हमने वादी का वादपत्र दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। पत्रावली केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार केम्प मोलकिया में पेश हुई। प्रतिवादी सख्या 1 लगयत 7 की ओर से जावब पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। जवाब अनुसार वादवर्णित आराजीयात कजोड सिंह पुत्र छीतर सिंह जाति राजपूत निवासी तितरिया से जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 29.05.1970 को श्रीमति मनोहर देवी के पति व निर्मल, हंसराज के पिता बिरदीचन्द जाति महाजन निवासी केकड़ी ने खरीद किया था तथा बिरदीचन्द की मृत्यु उपरान्त उनके वारिसान श्रीमति मनोहरदेवी, व निर्मल कुमार व हंसराज ने रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 27.06.1972 को प्रतिवादीगण के पिता व पति श्री मांगीलाल वल्द मुकना व श्री जगदीश वल्द मुकना जाति जाट निवासी तितरिया तहसील केकड़ी को वाद वर्णित आराजीयात को विक्रय किया था। उक्त विक्रयपत्र से वादवर्णित आराजीयात प्रतिवादीगण के पिता व पति मांगीलाल वल्द मुकना व जगदीश वल्द मुकना के कब्जे काश्त, स्वामित्व व आधिपत्य में निरन्तर रूप से रही और मांगीलाल व जगदीश की मृत्यु उपरान्त उनके वारिसान प्रतिवादीगण के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज होकर वर्तमान में प्रतिवादीगण के वास्तविक, भौतिक व प्रभावी कब्जे काश्त, स्वामित्व व आधिपत्य, उपयोग व उपभोग में निरन्तर रूप से चली आ रही है व प्रतिवादीगण ही वाद वर्णित आराजीयात के खातेदार काश्तकार है जिसके कारण प्रार्थनापत्र खारिज होने योग्य है एवं वादीगण ने अप्रार्थी सं. 15 राजस्थान सरकार तहसीलदार केकड़ी को वादपत्र प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 80 का नोटिस नही दिया है जिसके कारण भी यह वादपत्र खारिज होने योग्य है।

हमने वादपत्र का अवलोकन किया। प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया। वादवर्णित आराजीयात ग्राम तितरिया तहसील केकड़ी के साबिक खसरा नम्बर 536 रकबा 10 बीघा, जिसके हाल खसरा नम्बर 559 रकबा 1.62 हैक्ट. एवं साबिक खसरा नम्बर 537 रकबा 5 बीघा जिसके हाल खसरा नम्बर 557 रकबा 0.38 हैक्ट. एवं खसरा नम्बर 558 रकबा 0.43 हैक्ट. वादी के पिता द्वारा विक्रय किये जाने वाद ग्रस्त आराजी में वादीगण का कोई सरोकार नहीं होने से वाद का सतुलन वादी के पक्ष में नही बनता हैं ।

अतः वादी का वाद पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता हैं । आदेश आज दिनांक 25.5.2018 को लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प मोलकिया में मज में आम में सुनाया गया व पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे एंव उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
केकडी